कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

<u>वन्यजीव बाघ के शव को अवैध तरीके से जलाकर अपराधिक कृत्य करने वाले 02 आरोपी/शासकीय सेवको को शासकीय सेवा से हटाया गया</u>

<u>प्रेस विज्ञप्ती (**66/25,** दिनांक **09.10.2025)**</u>

वन वृत्त बालाघाट के परिक्षेत्र लालबर्रा दक्षिण बालाघाट के अंतर्गत वन्यप्राणी बाघ के शव को परिक्षेत्र सहायक एवं वनरक्षक के निर्देश पर 06 सुरक्षा श्रमिको के द्वारा जंगल में ही अवैधानिक तरीके से जला दिया गया। जो कि प्रथम दृष्टया वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित 2022) की धारा 2(16)(c), 39 (1), 39(3) ,39 (5) के तहत जारी "वन्य पशु वस्तु का वन्यजीव निपटान नियम 2023", 48(A) एवं 52के अंतर्गत आपराधिक कृत्य है| उक्त आपराधिक कृत्य में संलिप्त समस्त 08 आरोपियों (जिसमें से 02 शासकीय सेवक) के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 16036/06 दिनांक 02.08.25 पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये उक्त प्रकरण को अग्रिम विवेचना हेतु स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की जबलपुर इकाई को हस्तांतरण दिनांक 05.08.25 को किया गया।

उक्त प्रकरण में दिनांक 03.10.2025 को वनमंडलाधिकारी , दक्षिण सामान्य वनमंडल द्वारा विगत दो माह से फरार आरोपी शासकीय सेवक हिमांशु घोरमारे, तत्कालीन वनरक्षक एवं टिकाराम हनोते, तत्कालीन वनपाल के विरुद्ध म .प्र . सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 एवं म .प्र . सिविल सेवा (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10(viii) एवं 14(4) के तहत कार्यवाही करते हुए सेवा से प्रथक करने सम्बन्धी कार्यवाही की गयी है | उक्त दोनों आरोपियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वारासिवनी द्वारा दिनांक 06.10.2025 को स्थायी वारंट जारी किया गया है। उक्त प्रकरण में न्यायिक हिरासत में जेल में निरुद्ध आरोपियों के विरुद्ध जाँच कार्यवाही पूर्ण कर परिवाद माननीय न्यायालय, वारासिवनी में दिनांक 25.09.2025 को पेश किया जा चुका है | फरार आरोपियों के सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही किया जाना शेष है |

उक्त प्रकरण में फरार आरोपियों हिमांशु घोरमारे एवं टिकाराम हनोते के सम्बन्ध में सूचना देने वाले व्यक्तियों को राशी 5000/- (पांच हजार रूपए) के इनाम की घोषणा जारी की गयी है | **सूचना देने हेतु मोबाइल नम्बर 7067898223, 9399185452से संपर्क करसकते है।** वर्तमान में प्रकरण में विवेचना जारी है |

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल